



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

वैशाख 6, बुधवार, शका 1939-अप्रैल 26, 2017
Vaisakha 6, Wednesday, Saka 1939-April 26, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-वेधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 26, 2017

जी.एस.आर.14 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के चालक और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से संबंधित जजशिप का जिला एवं सेशन न्यायाधीश या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधिपति के अनुमोदन से, इन नियमों के अधीन किन्हीं पदों पर नियुक्ति करने के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की जायें ;

(ख) "मुख्य न्यायाधिपति" से राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अभिप्रेत है ;

(ग) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

- (घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;
- (ङ) "उच्च न्यायालय" से राजस्थान उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ;
- (च) "जजशिप" से जिला एवं सेशन न्यायाधीश की प्रशासनिक अधिकारिता अभिप्रेत है ;
- (छ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व या इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा में के पद पर अधिष्ठायी हैसीयत से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ज) "भर्ती प्राधिकारी" से उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (झ) "महारजिस्ट्रार" से उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;
- (ठ) "सेवा" से संबंधित जजशिप की चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा अभिप्रेत है ;
- (ड) "अधीनस्थ न्यायालय" से समय-समय पर यथा-संशोधित राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 में यथा-परिभाषित "अधीनस्थ न्यायालय" अभिप्रेत है ;
- (ढ) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से भर्ती की किसी एक रीति द्वारा नियमित चयन के पश्चात् इन नियमों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर कोई नियुक्ति सम्मिलित है ; और
- (ण) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

3. निर्वचन.— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

भाग 2

संवर्ग

4. सेवा में पदों की संख्या.— (1) सेवा में सम्मिलित पद का स्वरूप अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्टानुसार होगा ।

(2) किसी जजशिप में सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी, उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर, राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत कुल संख्या में से, अवधारित की जाये :

परन्तु उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर

खाली या प्रास्थगित रख सकेगा, समाप्त कर सकेगा या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

5. सेवा का गठन.— सेवा निम्नलिखित से गठित होगी —

- (i) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को संबंधित जजशिप के संवर्ग में अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ; और
- (ii) इन नियमों के नियम 31 के अधीन अर्जेंट-अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, संबंधित जजशिप के अधीनस्थ न्यायालयों में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग 3

भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.— (1) सेवा में सम्मिलित विभिन्न पदों पर भर्ती निम्नलिखित में से किसी भी रीति से की जायेगी :—

- (क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा;
- (ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा ; और
- (ग) इन नियमों के भाग 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्य जजशिप या उच्च न्यायालय से किसी तत्समान पद पर स्थानांतरण द्वारा।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.— (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। नियुक्ति सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्-पृथक् रोस्टर्स के अनुसार की जायेगी :

परन्तु भर्ती के किसी वर्ष-विशेष में अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया द्वारा भरी जायेंगी और समतुल्य संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां पश्चात्पूर्ती भर्ती के लिए आरक्षित रखी जायेंगी। ऐसी रिक्तियों को, जो इस प्रकार भरी नहीं गयी हैं, कुल तीन पश्चात्पूर्ती भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा और तत्पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जायेगा।

(2) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों के लिए रिक्तियों का आरक्षण

सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातिय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण.— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या, भर्ती वर्ष में रिक्तियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, यह अधिकतम सीमा नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन अग्रणीत की गयी रिक्तियों पर लागू नहीं होगी।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.— अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण उसी प्रकार अनुज्ञेय होगा जैसा कि राज्य में समय-समय पर लागू हो।

9. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.— सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह-महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

10. निःशक्त व्यक्तियों का आरक्षण.— सेवा की भर्ती में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर इस निमित्त यथा संशोधित

राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार होगा।

11. रिक्तियों का अवधारण.— (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को संबंधित जजशिप के अधीनस्थ न्यायालयों में उपलब्ध और वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियां अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीतियों द्वारा भरी जाएंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

12. राष्ट्रीयता.— सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह,—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) नेपाल का नागरिक हो; या

(ग) भुटान का प्रजाजन हो :

परन्तु (ख) और (ग) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

13. आयु.— अनुसूची में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए

परन्तु—

(i) उपरोक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को,—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा;

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन

किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो और उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे;

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी;

(viii) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी ;

(ix) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी;

(x) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिनमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

(xi) निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उपरिवर्णित आयु सीमा समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान

अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 के उपबंधों की अनुरूपता में शिथिल की जायेगी।

14. **शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता और अनुभव.**— अनुसूची में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित रखेगा,—

(i) अनुसूची के स्तम्भ 4 में विहित अर्हता और अनुभव ; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

15. **चरित्र.**— सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करें। उसे सच्चरित्रता के ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके संबंधी न हों।

टिप्पण : (क) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र ही सच्चरित्रता का अभाव नहीं माना जायेगा। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो उसे निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(ख) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्पूर्वी सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्पूर्वी देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(ग) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है पश्चात्पूर्वी देखरेख गृह के अधीक्षक का कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्पूर्वी देखरेख गृह में अपने पश्चात्पूर्वी सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः

नियोजन के लिए उपयुक्त है, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

16. शारीरिक उपयुक्तता.— सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे भर्ती प्राधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

17. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.— कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी हैं, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त भर्ती प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन संचालित चयन प्रक्रिया में भाग लेने से या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

18. नियुक्ति के लिए निर्रता.— (1) कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है:

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा:

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त हो :

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

19. संयाचना.— नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

20. रिक्तियों की अध्यपेक्षा.— इन नियमों के अधीन चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के अंत तक भर्ती प्राधिकारी को नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन अवधरित रिक्तियों की अध्यपेक्षा भेजेगा।

21. सीधी भर्ती की समय-सारणी.— सीधी भर्ती की समय-सारणी ऐसी होगी जो मुख्य न्यायाधिपति द्वारा विनिश्चित की जाये।

22. आवेदन आमंत्रित करना.— पदों पर भर्ती के लिए आवेदन, भर्ती प्राधिकारी द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिनमें से एक राज्य में व्यापक परिचालन जन भाषा का हो, विज्ञापित करके और उसे उच्च न्यायालय की शासकीय वेबसाइट पर भी डाल कर आमंत्रित किये जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय भर्ती प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो

जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

23. आवेदन का प्ररूप और फीस.— आवेदन, मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुदेशों के अधीन भर्ती प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जायेगा और वह ऐसे कार्यालयों से, जो भर्ती प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, प्राप्त किया जा सकेगा। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, भर्ती प्राधिकारी को ऐसी फीस का, जो वह मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुदेशों के अधीन रहते हुए नियत करे, का संचालन करेगा। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में, उनके वरीयताक्रम में उन जिलों के नाम, जिनमें वे सेवा करना चाहते हैं, ऐसी रीति से, जो भर्ती प्राधिकारी विहित करे, वर्णित करने की अपेक्षा की जायेगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ, भर्ती प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में इरा प्रभाव का अभिवचन प्रस्तुत करेगा कि वह इन नियमों के नियम 39 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों और कृत्यों की पालना करेगा।

24. आवेदनों की संवीक्षा.— आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अभ्यर्थी को यह बात स्वयं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि उसने इन नियमों में अधिकथित पात्रता की समस्त कसौटियां पूरी कर ली हैं। भर्ती प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। पात्र अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होना मात्र से ही किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता की उपधारणा करने का हकदार नहीं बनायेगा। भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता, जिनका पद के लिए चयन किया गया है, किसी भी स्तर पर खारिज कर सकता है यदि वे पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र पाये जायें।

25. चालक के पद पर चयन.— भर्ती प्राधिकारी द्वारा चालक के पद पर चयन के लिए योग्यता सूची, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य किसी बोर्ड द्वारा संचालित सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों और भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित कार्य परीक्षण में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। कार्य परीक्षण का स्वरूप और अधिकतम अंक तथा उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक ऐसे होंगे जो भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किये जायें।

26. कार्यालय चपरासी आदि के पद पर चयन.— अनुसूची में उल्लिखित कार्यालय चपरासी और समतुल्य पदों पर चयन के लिए योग्यता सूची भर्ती प्राधिकारी द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य किसी बोर्ड द्वारा संचालित सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

27. सिफारिश.— (1) नियम 25 या, यथास्थिति, 26 के अधीन तैयार की गयी योग्यता सूची में से भर्ती प्राधिकारी विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर चयनित अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार सूची तैयार करेगा :

परन्तु भर्ती प्राधिकारी द्वारा, अन्तिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी। अध्यपेक्षा किये जाने पर, भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नाम योग्यताक्रम में, उस तारीख से, जिसको भर्ती प्राधिकारी द्वारा मूल चयन सूची अग्रेषित की गयी, एक वर्ष के भीतर-भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) भर्ती प्राधिकारी, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में से चयनित अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा दी गयी वरीयता के अनुसार, जजशिपवार सूची तैयार करेगा और संबंधित जिला न्यायाधीश को भेजेगा। यदि जजशिप में वह रिक्ति, जिसके लिए अभ्यर्थी ने वरीयता दी है, उपलब्ध नहीं है तो भर्ती प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए उसका नाम किसी अन्य जजशिप को भेजा जायेगा।

भाग 5

पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया

28. चयन के लिए कसौटी.- (1) जमादार या आदेशिका तामीलकर्ता के पद पर पदोन्नति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता विनिर्णित की जायेगी।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक वह नीचे के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त और स्थायी न हो। यदि नीचे के पद पर अधिष्ठायी कोई भी व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो इन नियमों के अधीन भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति के अनुसार चयन के पश्चात् ऐसे पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किये गये हों, वरिष्ठता के उसी क्रम में केवल स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकेगा जिस क्रम में तब विचार किया जाता यदि वे उक्त नीचे के पद पर अधिष्ठायी होते।

29. पदोन्नति छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति हेतु, अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा।

30. पदोन्नति के लिए निरर्हता.- ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

परन्तु यह और कि किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्पूर्ति किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा :

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन यथापरिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त हो :

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

भाग 6

स्थानांतरण

31. स्थानांतरण.— (1) जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाये, सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को, महारजिस्ट्रार द्वारा, संबंधित जिला न्यायाधीश की सहमति से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से, एक जजशिप से अन्य जजशिप में संवर्ग में के तत्समान पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(2) उच्च न्यायालय, सेवा के किसी सदस्य को उच्च न्यायालय में तत्समान पद पर या राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा के किसी सदस्य को किसी जजशिप में संवर्ग में के तत्समान पद पर भी स्थानांतरित कर सकेगा।

(3) प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित किसी कर्मचारी की वरिष्ठता, उस जजशिप या उच्च न्यायालय में, जहां ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है, पद पर सेवा की अवधि के आधार पर नियत की जायेगी। यदि स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया हो, तो वरिष्ठता उस तारीख से अवधारित की जायेगी जिसको वह नयी जजशिप या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय में पद ग्रहण करे और उसे उस संवर्ग की वरिष्ठता में निम्नतम पर रखा जायेगा :

परन्तु किसी भी कर्मचारी को उसके अनुरोध पर अन्य जजशिप में तब तक स्थानांतरित नहीं किया जायेगा जब तक वह उस जजशिप, जहां उसे प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया था, पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण न कर ले :

परन्तु यह और कि मुख्य न्यायाधिपति, अपवाद सापेक्ष मामलों में, प्रशासनिक बातों पर, ऊपर निर्दिष्ट पांच वर्ष की अपेक्षा को दो वर्ष की कालावधि तक कम कर सकता है।

भाग 7

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और वरिष्ठता

32. सेवा में नियुक्ति.— सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 27 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

33. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति.— सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए या नियमित भर्ती तक, जो भी पूर्वतर हो, चालू नहीं रखी जायेगी :

परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन पदों को भरने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का पूर्व में अनुमोदन लेगा।

34. परिवीक्षा की कालावधि.— किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये समस्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखे जायेंगे और किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु—

- (i) उनमें से ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा हुई उनकी नियुक्ति के पूर्व ऐसे पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो जिसके पश्चात् उनका नियमित चयन हो गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परिवीक्षा की कालावधि में गिने जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी बशर्ते कि ऐसा करने से किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अधिकमण नहीं होगा या भर्ती में संबंधित आरक्षण कोटा में उनके अधिमान कम में परिवर्तन नहीं होगा।

- (ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

स्पष्टीकरण :- ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसकी मृत्यु हो जाये या जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को हो, परिवीक्षाकाल इतना कम कर दिया जायेगा कि यह उसकी मृत्यु या सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख पर एक दिन पूर्व समाप्त हो जाये।

35. परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.- (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति संतोषप्रद सेवा देने में विफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप में धारित पद पर, प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते कि उस पद पर उसका धारणाधिकार हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के परिवीक्षाकाल को छह मास से अनधिक की किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

(2) परिवीक्षा के दौरान या उसकी समाप्ति पर उप-नियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा।

36. स्थायीकरण.- किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

37. वरिष्ठता.- सेवा में संवर्गित निम्नतम पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों या इन नियमों द्वारा निरसित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति को नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझा जायेगा :

परन्तु,-

- (i) विभिन्न पद-प्रवर्गों, जिनसे उच्चतर पदों पर पदोन्नति इन नियमों में उपबंधित है, के धारकों की एकीकृत वरिष्ठता निम्नतम पद-प्रवर्ग पर नियमित चयन के पश्चात् सेवा की अवधि के अनुसार गिनी जायेगी।
- (ii) सेवा में के किसी पद पर एक जजशिप में नियुक्त व्यक्ति की, किसी अन्य जजशिप या उच्च न्यायालय में तत्समान पद पर स्थानांतरण

पर वरिष्ठता इन नियमों के भाग 6 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग 8

प्रकीर्ण

38. **अभ्यावेदन.**— नियुक्ति प्राधिकारी के पदोन्नति, वरिष्ठता, सेवा की शर्तों को प्रभावित करने वाले या राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 53 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसका विनिश्चय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधिपति द्वारा किया जायेगा।

39. **सेवा के सदस्य के कर्तव्य.**— सेवा के सदस्य द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्य और कृत्यों का स्वरूप ऐसा होगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

40. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन.**— इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :—

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (vii) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (viii) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित।
- (ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम :

परन्तु सरकार द्वारा उपर्युक्त नियमों के अधीन प्रयोग की जानी वाली शक्तियां, जैसे ही और जब अपेक्षित हों, उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य होंगी।

41. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.— अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां मुख्य न्यायाधिपति का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां मुख्य न्यायाधिपति की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा।

42. निरसन और व्यावृत्तियां.— इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा के सदस्यों की भर्ती और अन्य सेवा शर्तों को शासित करने वाले कोई अन्य नियम, अधिसूचनाएं या आदेश और इन नियमों के अंतर्गत वाले मामलों के संबंध में जारी आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

43. शंकाओं का निराकरण.— यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला मुख्य न्यायाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुसूची-I

क. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्यक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	चालक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी, (2) हल्के मोटर यान और परिवहन यान चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित करता हो (3) निम्नलिखित भी होना चाहिए :	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
			(i) चश्में सहित या बिना चश्में की दृष्टि 6 x 6 (ii) रास्ते में वाहन की छोटी मोटी मरम्मत का ज्ञान और वाहन चालन में दक्षता, और (4) हल्के मोटरयान और परिवहन मोटरयान चालन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव।			

अनुसूची-II

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की शैति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जमादार	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	—	कम संख्यांक 3 के स्तंभ सं. 2 पर उल्लिखित पद।	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—
2.	आदेशिका तामीलकर्ता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	—	कम संख्यांक 3 के स्तंभ सं. 2 पर उल्लिखित पद।	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—
3.	(i) कार्यालय चपरासी (ii) बस्ताबरदार (iii) पानी वाला एवं फर्श (iv) चौकीदार (v) कोई अन्य समतुल्य पद जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सैकण्डरी।	—	—	—

205

17(18)

राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 26, 2017

भाग 4 (ग)

स्पष्टीकरण : निम्नतम वेतनमान में कार्यालय कार्य हेतु स्वीकृत समतुल्य पदों में कार्यालय चपरासी के पद के लिए मंजूर वेतनमान के समान वेतनमान में स्वीकृत पद सम्मिलित होंगे।

[संख्या एफ. 3(2)कार्मिक/क-2/2017]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सुनील शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(Group-A- II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 26, 2017

G.S.R.14 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan, hereby makes the following rules regulating appointment to the Driver and Class IV of the Courts Subordinate to the High Court of Judicature for Rajasthan and the conditions of service of the persons so appointed, namely:-

THE RAJASTHAN SUBORDINATE COURTS (DRIVER AND CLASS-IV EMPLOYEES) SERVICE RULES, 2017

PART-I

GENERAL

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these rules unless the context otherwise requires:

- (a) "Appointing Authority" means the District & Sessions Judge of the Judgeship concerned or such other authority to whom power to make appointments to any of the posts under these rules may be delegated by the District & Sessions Judge, with the approval of the Chief Justice;

- (b) "Chief Justice" means the Chief Justice of High Court of Judicature for Rajasthan;
- (c) "Direct recruitment" means recruitment made in accordance with the procedure prescribed in part IV of these rules;
- (d) "Government" means the Government of Rajasthan;
- (e) "High Court" means the High Court of Judicature for Rajasthan;
- (f) "Judgeship" means the Administrative Jurisdiction of District & Sessions Judge;
- (g) "Member of service" means a person appointed in substantive capacity to the post in service prior to the commencement of these rules or under the provisions of these rules;
- (h) "Recruiting Authority" means Registrar General of the High Court or any other officer authorized by the High Court;
- (i) "Registrar General" means the Registrar General of High Court;
- (j) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (k) "State" means the State of Rajasthan;
- (l) "Service" means the Driver and Class-IV Employees Service of the Judgeship concerned;
- (m) "Subordinate Courts" means the 'Subordinate Courts' as defined in the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, as amended from time to time;
- (n) "Substantive appointment" means an appointment made under these rules after regular selection by any one of the methods of recruitment and includes an appointment on probation; and
- (o) "Year" means the financial year.

3. Interpretation – Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these Rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

**PART-II
CADRE**

4. Strength of service.- (1) The nature of post included in service shall be as specified in column 2 of schedule.

(2) The strength of service in a Judgeship shall be such as may be determined by the High Court from time to time out of the total strength sanctioned by the Government for the Subordinate Courts in the State:

Provided that the High Court may leave unfilled or hold in abeyance, abolish or allow to lapse any post, permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

5. Constitution of the service.- The service shall consist of-

- (i) all persons holding substantively the posts specified in the schedule in the cadre of the Judgeship concerned on the date of commencement of these rules; and
- (ii) all persons recruited to the service in the Subordinate Courts of the Judgeship concerned in accordance with the provisions of these rules except on urgent temporary appointment under rule 31 of these rules.

**PART - III
RECRUITMENT**

6. Methods of Recruitment.-(1) Recruitment to various posts included in the service shall be made by any of the following methods:

- (a) by direct recruitment in accordance with the procedure prescribed in Part IV of these rules;
- (b) by promotion in accordance with the procedure prescribed in Part V of these rules; and
- (c) by transfer on a corresponding post from another judgeship or High Court in accordance with the procedure prescribed in Part VI of these rules.

7. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.- (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be in accordance with the orders of the Government for such reservation in force at the time of recruitment. Appointment shall be made

strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion:

Provided that in the event of non-availability of eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year of recruitment, the vacancies so reserved for them shall be filled in by the normal procedure and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved in the subsequent recruitment. Such of the vacancies which remain so unfilled shall be carried forward to the subsequent three recruitment years in total and thereafter such reservation would lapse.

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, reservation of vacancies for Tribal Sub Plan areas notified by the Government shall be as per the Tribal Sub Plan Programme followed by the Government.

Explanation.- The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates shall not exceed 50% of total number of vacancies in the year of recruitment. However, this ceiling shall not apply to the vacancies carried forward under sub-rule (1) of rule 6.

8. Reservation of vacancies for the Other Backward Classes.- Reservation of vacancies for Other Backward Classes shall be in accordance with the orders of the Government for such reservation in force at the time of recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Other Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them, shall be filled in accordance with the normal procedure.

Reservation for other categories shall be admissible as applicable in the State from time to time.

9. Reservation of vacancies for women.- Reservation of vacancies for women candidates shall be 30% category wise in the direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows by the divorcees

299

17(22)

राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 26, 2017

भाग 4 (ग)

or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation.- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.

10. Reservation of Persons with disabilities.-

Reservation for persons with disabilities in the recruitment to the service shall be in accordance with the Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011, as amended from time to time in this behalf.

11. Determination of vacancies.- (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine the actual number of vacancies available in the Subordinate Courts of the Judgeship concerned and to occur during the year, on 1st April of every year.

(2) The vacancies determined under sub-rule (1), shall be filled in by the method as specified in the Schedule.

(3) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier years, year wise, which are required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

12. Nationality.- A candidate for appointment to the service must be:

- (a) a citizen of India, or
- (b) a citizen of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a candidate belonging to categories (b) & (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India.

13. Age.- A candidate for direct recruitment to a post enumerated in the Schedule must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of January next following the last day fixed for receipt of applications.

Provided that:

(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-

- (a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Special Backward Classes;
- (b) 5 years in the case of woman candidate belonging to General Category; and
- (c) 10 years in the case of woman candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Special Backward Classes;

(ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules;

(iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner, who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules;

(iv) the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit and shall be allowed up to two chances;

(v) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by

more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit;

(vi) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army;

(vii) there shall be no age limit in the case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak war;

(viii) the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking in substantive capacity shall be 40 years;

(ix) there shall be no age limit in the case of widows and divorced women;

(x) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years;

(xi) the upper age limit mentioned above shall be relaxed for the persons with disabilities in conformity with provisions of rule 39 of Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011, as amended from time to time.

14. Academic and Technical qualification and experience.-A candidate for direct recruitment to the posts enumerated in the Schedule shall possess,-

- (i) the qualification and experience prescribed in column 4 of the Schedule; and
- (ii) working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthan culture.

15. Character.- The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as to qualify him/her for employment in the Service. He/She must produce two certificates for good character given not prior than six months from the date of application by two responsible persons not related to him/her.

Note: (a) A mere conviction by a Court of Law shall not by itself be treated as lack of good character. The circumstances of the conviction shall be taken into account and if the same does not involve moral turpitude or association with crime of violence or with a movement, which has as its object to overthrow the Government established by Law by violent means, it may not be regarded as a disqualification.

(b) Ex-prisoners, who by their disciplined life, while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed, shall not be discriminated against on ground of their previous conviction for the purposes of employment in the service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude or violence shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After-Care Home or if, there are no such Homes in a particular district, from the Superintendent of Police of that District.

(c) Those convicted of offences involving moral turpitude or violence shall be required to produce a certificate from the Superintendent, After-Care Home, endorsed by the Inspector General of Prisons, to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After-Care Home.

16. Physical fitness.- A candidate for direct recruitment to the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of the Service and if selected, must produce a certificate to that effect from any Medical Authority, notified by the Recruiting Authority for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate, in the case of a candidate who is already serving in connection with the affairs of the State, if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standard for medical examination of the two posts held by him are comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.

17. Employment by irregular or improper means.- A candidate, who is or has been declared by the Appointing Authority/ Recruiting Authority, guilty of impersonation or of submitting fabricated documents, which have been tampered with or of making statements, which are incorrect or false or of suppressing material information or using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance to any interview may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period from participating in the process of selection conducted under these rules by the Recruiting Authority.

18. Disqualification for appointment.- (1) No male or female candidate, who has more than one wife/husband living, shall be eligible for appointment to the service.

(2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.

Explanation.- For the purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)

(4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after 01-06-2002:

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on 1.6.2002 does not increase.

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability as defined under the provisions of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, shall not be counted.

Provided also that any person, who performed remarriage, which is not against any law and before such remarriage, he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

19. Canvassing.-No recommendation for direct recruitment either written or oral other than that required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/her candidature by any means may disqualify him/her for recruitment.

PART - IV PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

20. Requisition of Vacancies.- The District & Sessions Judge shall send the requisition of the vacancies determined under sub-rule (1) of rule 11 to the Recruiting Authority every year by the end of month of April for initiating the selection process under these rules.

21. Time schedule of direct recruitment.- Time schedule of direct recruitment shall be such as may be decided by the Chief Justice.

22. Inviting of Applications.- Application for direct recruitment to the posts in the service shall be invited by the Recruiting Authority, by advertising the vacancies in at least two News papers, one of which must be in vernacular language having wide circulation in the State and also by displaying the same on official website of the High Court:

Provided that while selecting candidates for the posts, so advertised, the Recruiting Authority, as the case may be, may, if intimation of additional requirement, not exceeding 50% of the advertised vacancies is received by it for selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

23. Form of Application and Fee.- The application shall be made in the form specified by the Recruiting Authority under the instruction of the Chief Justice or the authority designated by

him and obtainable from such offices, as may be specified by the Recruiting Authority. A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay fee to the Recruiting Authority, as may be fixed by it under the instruction of the Chief Justice or the authority designated by him. Candidates shall be required to state in application form names of district in order of their preference, in which they want to serve, in the manner as prescribed by the Recruiting Authority. The applicant shall submit an undertaking alongwith his application in the form specified by the Recruiting Authority to the effect that he shall perform the duties and functions as specified by the Appointing Authority from time to time under Rule 39 of these Rules.

24. Scrutiny of applications.- Before submitting application, it should be ensured by the candidate himself/ herself that he/she fulfills all the eligibility criteria laid down in these rules. The Recruiting Authority shall scrutinize the applications received by it and prepare a list of eligible candidates. Mere inclusion in the list of eligible candidates, shall not entitle the candidate to presume his eligibility. The Recruiting Authority or Appointing Authority shall reject the candidature of the candidates, who are selected for the post, at any stage, if they are found ineligible for appointment to the post.

25. Selection to the Post of Driver.- Merit list for selection to the post of Driver shall be prepared by the Recruiting Authority on the basis of marks obtained in Senior Secondary Examination conducted by the Board of Secondary Education Rajasthan or any other Board recognized by the Government and marks obtained by the candidate in the Job Test conducted by the Recruiting Authority. The nature and maximum marks of the Job Test and minimum pass marks therein, shall be such as may be determined by the Recruiting Authority.

26. Selection to the post of Office Peon etc.- Merit list for selection to the post of Office Peon and equivalent posts mentioned in Schedule shall be prepared by the Recruiting Authority on the basis of marks obtained in Secondary Examination conducted by the Board of Secondary Education Rajasthan or any other Board recognized by the Government.

27. Recommendation.- (1) Out of merit list prepared under rule 25 or 26, as the case may be, the Recruiting Authority shall prepare category wise list of the selected candidates equal to the number of posts advertised:

Provided that a category wise reserve list of suitable candidates to the extent of fifty percent of the finally intimated vacancies shall also be prepared by the Recruiting Authority. The Recruiting Authority on requisition shall send the names of such candidates in order of merit to the Appointing Authority concerned, within a year from the date on which original select list was forwarded by the Recruiting Authority.

(2) The Recruiting Authority shall prepare Judgeship wise list of selected candidates, out of list prepared under sub-rule (1), according to preference given by the candidates and sent to the District Judge, concerned. If vacancy is not available in the judgeship for which preference is given by the candidate, his name may be sent by the Recruiting Authority to any other Judgeship for appointment.

PART - V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION

28. Criteria for Selection.- (1) Promotion to the post of Jamadar or Process Server shall be made on the basis of seniority-cum-suitability by the Appointing Authority. Suitability of the candidates shall be adjudged by the committee constituted by the Appointing Authority.

(2) No person shall be considered for promotion unless he is substantively appointed and confirmed on the lower post. If no person substantive in lower post is available for promotion, persons who have been appointed on such post on officiating basis after selection in accordance with one of the methods of recruitment under these Rules, may be considered for promotion on officiating basis only in the order of seniority in which they would have been placed, had they been substantive on the said lower post.

29. Restriction on Promotion of Persons Forgöing Promotions.- In case of a person, on his appointment by promotion to the next higher post, either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis, forgoes such an appointment by his written request and if the Appointing Authority accepts his request, the person concerned shall be debarred for consideration for promotion, both on the basis of urgent temporary appointment or regular basis, for subsequent two recruitment years.

30. Disqualification for Promotion.- No person shall be considered for promotion for five recruitment years from the date on which his promotion become due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002:

Provided that the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase:

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children:

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery having disability as defined under the provisions of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, shall not be counted:

Provided also that any person who performed remarriage, which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

PART – VI TRANSFER

31. Transfer.- (1) Wherever considered necessary, a person appointed in service may be transferred from one judgeship to another on corresponding post in the cadre by the Registrar

General with the concurrence of the District Judges concerned and with the approval of the Chief Justice of the High Court or the authority designated by him.

(2) The High Court may also transfer any member of the Service to the corresponding post in the High Court or any member of Rajasthan High Court Staff Service to any judgeship on the corresponding post in the cadre.

(3) The seniority of an employee transferred due to administrative reasons shall be fixed, on the basis of length of service on the post, in the judgeship or High Court, where such employee is transferred. In case transfer is made on his own request, seniority shall be determined from the date he joins in new judgeship or High court, as the case may be and he shall be placed at the lowest in the seniority of that cadre:

Provided that no employee shall be transferred to another Judgeship on his request unless he has completed minimum service of five years in the Judgeship where he was initially appointed:

Provided further that Chief Justice may, in exceptional cases, on administrative considerations, reduce the above-referred requirement of five years upto the period of two years.

PART - VII APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

32. Appointment to the Service.- Appointment to the posts in the service by direct recruitment or promotion, as the case may be, shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the candidates selected under rule 27 in the order of merit and by promotion from the persons selected under rule 28 of these rules.

33. Urgent Temporary Appointment.- A vacancy in the Service, which cannot be filled immediately either, by direct recruitment or by promotion under these rules, may be filled in by the Authority competent to make appointments by appointing in an officiating capacity thereto, a person eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the service where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules.

Provided that such, appointment shall not be continued beyond a period of one year or till regular recruitment, whichever is earlier.

Provided further also that prior to filling the posts under this rule, the Appointing Authority shall take prior approval of the Chief Justice or the Authority designated by him.

34. Period of Probation.- All persons appointed to the service by direct recruitment against a substantive vacancy shall be placed as probationer trainee for a period of two years and those appointed to the Service by promotion against substantive vacancy shall be placed on probation for a period of one year:

Provided that,-

- (i) such of them who previous to their appointment by promotion or by direct recruitment against a substantive vacancy, have officiated temporarily on the post, which is followed by regular selection, may be permitted by the Appointing Authority to count such officiating or temporary service towards the period of probation, unless it involves supersession of any senior person or disturbs the order of their preference in respective quota of reservation in recruitment.
- (ii) any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post, shall count towards the period of probation.

Explanation.- In case of a person, who dies or is due to retire on attaining the age of superannuation, the period of probation shall be reduced so as to end one day earlier on the date immediately preceding the date of death or retirement from Service.

35. Unsatisfactory Progress during Probation.- (1) If at any time during or at the end of the period of probation it appears to the Appointing Authority that a probationer has failed to render satisfactory service, the Appointing Authority may revert him to the post held substantively by him immediately preceding his appointment as probationer trainee, provided he holds a lien thereon or in other case may remove him from service:

Provided that the Appointing Authority may extend the period of probation of any probationer by a specified period not exceeding six months.

(2) A probationer reverted or removed from service during or at the end of the period of probation under sub-rule (1) shall not be entitled to any compensation.

36. Confirmation.- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation, if the Appointing Authority is satisfied that his integrity is unquestionable and that he is otherwise fit for confirmation.

37. Seniority.- Seniority of persons appointed to the lowest post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules or rules repealed by these rules. Appointment on ad-hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) the integrated seniority of holders of various categories of posts from which promotion to higher posts is provided in these rules shall be reckoned according to the length of service after regular selection to the lower category of posts.
- (ii) the seniority of a person appointed to a post in the service in one Judgeship by transfer to another Judgeship or High Court, on a corresponding post, shall be determined as per the provisions of Part VI of these rules.

PART - VIII MISCELLANEOUS

38. Representations.- Any person aggrieved by any order of the Appointing Authority relating to promotion, seniority, effecting service conditions or compulsory retirement under rule 53 of Rajasthan Pension Rules, 1996 etc., may within a period of three months, make a representation to the High Court, which shall be decided by a High Court Judge nominated by the Chief Justice.

39. Duties of member of the service.- The nature of duty and functions to be performed by the member of the service shall

be such as may be specified by the appointing authority from time to time.

40. Regulation of Pay, Leave, Allowance, Pension etc.-

Except as provided in these rules, the pay, allowances, pension, leave and other conditions of service of the members of the Service, shall be regulated by,-

- (i) The Rajasthan Service Rules, 1951 as amended from time to time.
- (ii) The Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time.
- (iii) The Rajasthan Travelling Allowance Rules, as amended from time to time.
- (iv) The Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time.
- (v) The Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Rules, 2005.
- (vi) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 2008 as amended from time to time.
- (vii) The Rajasthan Civil Service (Conduct) Rules, 1971 as amended from time to time.
- (viii) The Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servant Rules, 1996 as amended from time to time.
- (ix) Any other rules made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force:

Provided that the powers exercisable under the aforesaid rules by the Government, as and when required, shall be exercisable by the High Court.

41. Power to relax the Rules.- In exceptional cases, where the Chief Justice is satisfied that operation of the rule relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Chief Justice is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, he may by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such

conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favourable than the provisions already contained in these rules.

42. Repeal and Savings.- After commencement of these rules, any other rules, notifications or orders governing the recruitment and other service conditions of the members of the service and orders issued in relation to matters covered by these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed, shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

43. Removal of doubts.- If any doubt arises relating to the application and scope of these rules, it shall be referred to the Chief Justice whose decision thereon shall be final.

Schedule-I

S. No.	Name of Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Driver	100% by direct recruitment	<p>(1) Senior Secondary from Board of Secondary Education, Rajasthan or any other Board recognized by the Government,</p> <p>(2) Must hold a valid license for driving Light Motor Vehicle and Transport Vehicle,</p> <p>(3) Must also possess the following:</p> <p>(i) Sight 6x6 with or without glasses.</p> <p>(ii) Knowledge of roadside repairs & efficiency in driving, and</p> <p>(4) Three years experience of driving after obtaining valid driving license for driving Light Motor Vehicle and Transport Vehicle.</p>	-	-	-

223

17(36)

राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 26, 2017

भाग 4 (ग)

Schedule-II

S. No.	Name of Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Jamadar	100% by promotion.	-	Posts mentioned at Column No. 2 of serial number 3	Three years experience on the post mentioned in column 5	-
2	Process Server	100% by promotion.	-	Posts mentioned at Column No. 2 of serial number 3	Three years experience on the post mentioned in column 5	-
3	(i) Office Peon (ii) Record Lifter (iii) Waterman-cum-Farrash (iv) Chowkidar (v) Any other equivalent post as may be sanctioned by the Government from time to time	100% by direct recruitment	Secondary from Board of Secondary Education, Rajasthan or any other Board recognized by the Government	-	-	-

Explanation: Equivalent posts sanctioned for office work in the lowest scale will include posts sanctioned in the scale of pay identical to the scale of pay sanctioned for the post of Office Peon.

[No. F. 3(2) DOP/A-II2017]

By Order and in the name of the Governor,

Sunil Sharma,

Joint Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.